उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या– 2442 –औस/2011–11(1)ए0एस0/2009/2010 दिनांक 6 अगस्त 2011

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनो तथा पारिवारिक पेन्शनरों की भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तो एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरें जो कारपोरेशन के वेबसाइट www. uppcl.log.personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या–4452–औ0सं0–17/ पाकालि /2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या–3593–औ0सं0–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानको के अर्न्तगत **ब्रहमा नेत्रालय,149–आवास विकास, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद** को एकल विशिष्टंता, नेत्र रोग चिकित्सा हेतु एतद्द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिये कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(04)29–एन0जी0–2/78 दिनांक 24.051978 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा।

1. अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होगें। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
2. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक के लिये नेत्र रोग चिकित्सा के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सालय ।"
3. चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी, शक्ति भवन को भेजना होगी :–

    (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
    (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
    (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
    (घ) कार्मिक का वेतनमान।
    (ड़) रोग का नाम (डाइग्नासिस)।
    (ड़) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

4. कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट www. uppcl.log.personnel पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
5. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजको में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।

D:\ \MEDICAL.docMEDICAL /70

6. निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने एवं कारपोरेशन की शर्तो का उल्लघंन करने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या– 2442–(I)–औस/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ/दक्षिणान्चल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्म मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दे।
8. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव–प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट www. uppcl.log.personnel पर लोड करने हेतु।
12. प्रबन्धक, ब्रहमा नेत्रालय, 149, आवास विकास, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।
13. सचिव विद्युत पेशनर्स परिषद (उ0प्र0). 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट, स्टेशन रोड़, लखनऊ।
14. कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी